आरोप में अनुज्ञप्ति को निलंबित करते हुए अपीलकर्त्ता से स्पष्टीकारण की मांग की गई तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी, सरैयाहाट को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सरैयाहाट से समन्वय स्थापित कर खाद्यान्न का हस्तान्तरण कराकर दुकान की विस्तृत जांच कर जांच प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। जांच के दौरान भी अपीलकर्त्ता को प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा भंडार पंजी, वितरण पंजी एवं अन्य पंजी जांच हेतु उपलब्ध कराने हेतु कहने पर भी उपस्थित नहीं हुए। स्थल जांच के क्रम में उनका दुकान बन्द पाया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि स्थल जांच के क्रम में उक्त दुकान से संबंधित कार्ड की जांच कराने पर कार्डधारियों द्वारा बताया गया कि उन्हें बराबर कम खाद्यान्न एवं किरासन तेल का वितरण किया जाता है। प्रखंड विकास पदाधिकारी के प्रतिवेदन के अनुशंसा के आलोक में अपीलकर्त्ता द्वारा कारण–पृच्छा निम्न न्यायालय में समर्पित नहीं किये जाने के कारण उनके अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया।

अपीलकर्त्ता का दावा है कि उन्हें कारण–पृच्छा का नोटिस निर्गत नहीं किया गया है एवं सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। किन्तु निम्न न्यायालय के संचिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता को निम्न न्यायायाल के ज्ञापांक 524/अनु0आ0 दिनांक 17.08.2016 द्वारा कारण पृच्छा हेतु पत्र निर्गत किया गया है। जिसे अपीलकर्त्ता की पत्नी श्रीमती रिंकी देवी के द्वारा दिए गये आवेदन के अनुसार पत्र को उनके पति (अपीलकर्त्ता) के बाहर रहने के कारण उन्हें नहीं दिया गया। पुनः उनके आवेदन के आधार पर अपीलकर्त्ता के आवास पर नोटिस चिपकाते हुए तामिला कराने हेतु ज्ञापांक 558/अनु0आ0 दिनांक 06.09.2016 द्वारा नोटिस निर्गत किया गया जिसे प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सरैयाहाट के प्रतिवेदन पत्रांक 149 दिनांक 10.09.2016 के अनुसार अपीलकर्त्ता के पत्नी द्वारा पत्र लेने से इन्कार करने के बाद उनके दरवाजे पर पत्र चिपका दिया गया। तत्पश्चात भी अपीलकर्त्ता द्वारा कारण पृच्छा दाखिल नहीं किया गया जो सरकारी आदेश का अवहेलना एवं लापरवाही का द्योतक हैं ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा अपीलकर्त्ता का अनुज्ञप्ति को रद्द किया जाना सही प्रतीत होता है जिसे बरकरार रखते हुए अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ।

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

182

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील वाद सं0 10/2016–17

विनय कुमार ..... अपीलकर्ता

बनाम्

सरकार ..... उत्तरकारी

।। आदेश ।।

31/01/2017

यह रे0मि0 अपील वाद सं0– 10/2016–17 विनय कुमार, पे0 स्व0 राम नारायण साह सा0 मंडलडीह (टोला तुलसी) पंचायत मंडलडीह थाना सरैयाहाट बनाम् सरकार के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के आदेश सं0 197/2016 दिनांक 10.11.2016 ज्ञापांक 717/अनु0आ0 दिनांक 10.11.2016 के विरूद्ध दायर किया गया है।

मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा अपीलकर्त्ता के जन वितरण प्रणाली विक्रेता की अनुज्ञप्ति को प्रखंड आपूति पदाधिकारी के गलत प्रतिवेदन के आधार पर रद्द किया गया है। अनुज्ञप्ति को रद्द किये जाने के पूर्व अपीलकर्त्ता को सुनवाई हेतु मौका नहीं दिया गया तथा कारण–पृच्छा भी प्राप्त नहीं किया गया हैं ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत नहीं है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता द्वारा किरासन तेल कालाबाजारी हेतु अवैध भंडारण के कारण उनके विरूद्ध थाना प्रभारी, सरैयाहाट द्वारा धारा 341, 323, 353, 414, 427/34 एवं 7EC के तहत् प्राथमिकी दर्ज किया गया। इस पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सरैयाहाट के अनुशंसा के आलोक में आदेश सं0 96/2016 ज्ञापांक 367/अनु0आ0 दिनांक 02.07.2016 द्वारा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को आदेश दिया गया कि अपीलकर्त्ता के दुकान में मौजूद खाद्यान्न हस्तांतरित कराते हुए संबंधित दुकान से कार्डधारियों को खाद्यान वितरण कराना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही उक्त आदेश के अनुपालन हेतु अपीलकर्त्ता को भी निदेशित किया जाय। अपीलकर्त्ता द्वारा पत्र लेने से इन्कार किया गया एवं बार–बार बहाना बनाकर खाद्यान्न का हस्तान्तरण नहीं किया गया। तत्पश्चात प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में आदेश सं0 152/2016 ज्ञापांक 524/अनु0आ0 दिनांक 17.08.20116 द्वारा खाद्यान्न हस्तान्तरण न करने, जांच में सहयोग न करने, उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना तथा उपभोक्ताओं के हित की अनदेखी कर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रति लापरवाही बरतने के